कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

गांधी चौक के पास नया मुख्यालय भवन रायपुर

फोन नं. : 2535780, 90, फैक्स : 0771–2227395, E - mail -: dc_rmc@rediffmail.com

क्र./3311/न.पा.नि./PMAY-HFA/2026 रायपुर, दिनांक 04/11/2026

"अंतिम पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन एवं राशि जमा करने की सूचना"

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के घटक "भागीदारी में किफायती आवास" (ए.एच.पी.) योजना के तहत् "कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियो हेतु आवास निर्माण" अंतर्गत विज्ञापन क्रमांक 01/2026 दिनांक 30.06.2026 में परियोजना – **192 वी.आई.पी. सिटी के पास, सड्डू** में निर्मित 192 मकानों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसमें निर्धारित तिथि में 61 आवेदन प्राप्त हुये थे।

प्रारंभिक पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची, दिनांक 23/07/2026 को नगर पालिक निगम, रायपुर की वेबसाइट में ऑनलाइन जारी कर दिनांक 03/08/2026 तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित तिथि में प्राप्त दावा आपत्ति के परीक्षण उपरांत कुल 61 आवेदकों में से अंतिम रूप से 61 आवेदक पात्र पाये गये हैं। अंतिम पात्र/अपात्र सूची, सर्व–साधारण हेतु इस पत्र के माध्यम से जारी (ऑनलाइन/ऑफलाइन) किया जा रहा है।

अगले क्रम में, उपरोक्त अनुसार जारी सूची मे चयनित 61 आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05/11/2026 से दिनांक 17/11/2026 कार्यालयीन दिवस एवं समय सुबह 10.00 बजे से 5.30 तक आवास आबंटन हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर के भूतल स्थित पूछताछ केन्द्र के बाजू में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु बने एकल खिड़की में उपस्थित होकर हितग्राही अंशदान की प्रथम किस्त की राशि रु. 16,000/– जमा करना सुनिश्चित करें। विस्तृत दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न है, हितग्राही द्वारा हितग्राही अंशदान की राशि जमा किये जाने के उपरांत ही लॉटरी के माध्यम से ब्लॉक एवं फ्लैट नंबर प्रदान किया जावेगा। आवास आबंटन लॉटरी के माध्यम से की जावेगी जिसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी।

उक्त विषय में अधिक जानकारी/पूछताछ/सहयोग/मार्ग–दर्शन हेतु निगम मुख्यालय के भूतल स्थित पूछताछ केन्द्र के बाजू में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु बने एकल खिड़की स्थित हेल्प डेस्क में उपस्थित होकर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

संलग्नः– विस्तृत दिशा–निर्देश।

अपर आयुक्त,
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 01/2026 दिनांक 30.06.2026 में परियोजना 192 वी.आई पी. सीटी सड्डू हेतु विज्ञाप्ति 192 आवास में प्राप्त आवेदनों की दावा–आपत्ति उपरांत अंतिम पात्र सूची

क्र.	आवेदन पत्र क्र.	आवेदक / आवेदिका का नाम	पिता / पति का नाम	अंतिम स्थिति
1	RMC2AHP192192S-000139176	ALKA SAHU	DHAWAL KISHOR SAHU	पात्र
2	RMC2AHP192192S-159021800	AMIT ROY	LATE ASIM ROY	पात्र
3	RMC2AHP192192S-822698664	ASHISH SHUKLA	ASHOK KUMAR SHUKLA	पात्र
4	RMC2AHP192192S-697477989	BABALI SAHU	MOHAN SAHU	पात्र
5	RMC2AHP192192S-285752787	CHANDKIRAN SAHU	KARAM SINGH SAHU	पात्र
6	RMC2AHP192192S-823763167	DEVSINGH TANDAN	THAKUR RAM	पात्र
7	RMC2AHP192192S-314869697	DHARMENDRA KUMAR DHIDHI	DARSHAN DAS DHIDHI	पात्र
8	RMC2AHP192192S-388665567	FIRANTIN BAI	LAKHAN LAL	पात्र
9	RMC2AHP192192S-586414773	GAURI KHATVANI	MAHESH KUMAR KHATVANI	पात्र
10	RMC2AHP192192S-933144927	HARSH CHOUHAN	DINESH CHOUHAN	पात्र
11	RMC2AHP192192S-576606443	JHABBULAL OGARE	PANCHURAM OGARE	पात्र
12	RMC2AHP192192S-696103919	JYOTHI VISHWAKARMA	LATE MANISH VISHWAKARMA	पात्र
13	RMC2AHP192192S-292048110	KALPANA DAMKE	RAJESH DAMKE	पात्र
14	RMC2AHP192192S-555275193	KAVITA SIDAR	GOPAL PRASAD SIDAR	पात्र
15	RMC2AHP192192S-556309861	KHULESHWARI	LOKNATH NISHAD	पात्र
16	RMC2AHP192192S-415232169	LALIT KUMAR SAHU	VASUDEV SAHU	पात्र
17	RMC2AHP192192S-346826395	LIPIKA MANDAL	JAYANT MANDAL	पात्र
18	RMC2AHP192192S-819460416	MANJU SINGH	SANJAY SINGH RAJPUT	पात्र
19	RMC2AHP192192S-901658051	MEENA KHAN	RAJJU KHAN	पात्र
20	RMC2AHP192192S-730659733	MEENA MARKAM	MEVA LAL MARKAM	पात्र
21	RMC2AHP192192S-950973459	MOHAN PRASAD GOND	RAMPRASAD MARAVI	पात्र
22	RMC2AHP192192S-269570117	MONIKA	GYANESHWAR SAHU	पात्र
23	RMC2AHP192192S-765889787	NAMITA KAR	VIJAY KAR	पात्र
24	RMC2AHP192192S-206633527	NASRIN BANO ANSARI	SIRAJ AHMED	पात्र
25	RMC2AHP192192S-004657854	NEERAJ KUMAR SAHU	LT. RAMDULAR SAHU	पात्र
26	RMC2AHP192192S-831718467	NISHA CHANDWANI	HARGUN DAS CHANDWANI	पात्र
27	RMC2AHP192192S-196698048	NITISH KUMAR	KALESHWAR PASWAN	पात्र
28	RMC2AHP192192S-601886925	PINKY KHANDEKAR	GOPIKISHAN	पात्र
29	RMC2AHP192192S-006351185	PRABHAT KUMAR BAGHEL	TORAN DAS BAGHEL	पात्र
30	RMC2AHP192192S-728356900	PUSHP KUMAR	DASHRATH RAM	पात्र
31	RMC2AHP192192S-724690665	PUSHPA JAGAT	RAJ KUMAR JAGAT	पात्र
32	RMC2AHP192192S-869023093	RADHIKA DHRUW	MANIRAM DHRUW	पात्र

33	RMC2AHP192192S-784023690	RAGNI KHANDE	SATISH KHANDE	पात्र
34	RMC2AHP192192S-549335886	RAHUL PATHAK	JOHAN LAL	पात्र
35	RMC2AHP192192S-797585089	RAKESH KUMAR THAKUR	TOSHAN LAL THAKUR	पात्र
36	RMC2AHP192192S-566694423	RANI SAHU	JAYANT KUMAR SAHU	पात्र
37	RMC2AHP192192S-990807812	RANU SHUKLA	DEVRAJ SHUKLA	पात्र
38	RMC2AHP192192S-663146605	RATNA KAIVATRYA	DEEMAN PRASAD KAIWARTYA	पात्र
39	RMC2AHP192192S-177754764	RAVINDRA KUMAR	RAJENDRA PRASAD	पात्र
40	RMC2AHP192192S-168557625	SAHDEV KUMAR	ANKALU RAM	पात्र
41	RMC2AHP192192S-753758920	SANIYA TANDAN	JAGESHWAR TANDAN	पात्र
42	RMC2AHP192192S-611427016	SANTOSH KUMAR SARTHI	BUDHRAM SARTHI	पात्र
43	RMC2AHP192192S-790972550	SANTOSHI BAI SAHU	SANTOSH KUMAR SAHU	पात्र
44	RMC2AHP192192S-813206414	SANTOSHI CHAUHAN	BITESH CHAUHAN	पात्र
45	RMC2AHP192192S-407407503	SARITA KANAUJE	RAVI KANAUJE	पात्र
46	RMC2AHP192192S-463365824	SARITA YADAV	KRISHNA YADAV	पात्र
47	RMC2AHP192192S-005616118	SARSVATI SAHU	DEOCHARAN SAHU	पात्र
48	RMC2AHP192192S-487951594	SATYAVRAT VERMA	DUSHYANT VERMA	पात्र
49	RMC2AHP192192S-480391881	SHIVRATAN VERMA	KANHAIYA LAL	पात्र
50	RMC2AHP192192S-130657755	TWINKLE PANDEY	BASANT PANDEY	पात्र
51	RMC2AHP192192S-120549708	VANDANA BHONDEKAR	ASHWANI BHONDEKAR	पात्र
52	RMC2AHP192192S-387123991	YAMINI SAHU	DAGENDRA KUMAR SAHU	पात्र
53	RMC2AHP192192S-521901017	YASHWANT KUMAR VERMA	BUDHRAM VERMA	पात्र
54	RMC2AHP192192S-363435779	YOGESH KUMAR	RAJKUMAR GHRITLAHRE	पात्र
55	RMC2AHP192192S-501603519	आयशा जफ़र शेख	जफ़र शेख	पात्र
56	RMC2AHP192192S-882082501	चंद्रशेखर साहू	गणेश राम साहू	पात्र
57	RMC2AHP192192S-830405902	पंकेश कुमार साहू	खीकराम साहू	पात्र
58	RMC2AHP192192S-068744700	मनीष कुमार	भोगलाल साहू	पात्र
59	RMC2AHP192192S-651557914	ममता	रामसुख	पात्र
60	RMC2AHP192192S-935375425	ममता साहू	सुशील कुमार साहू	पात्र
61	RMC2AHP192192S-014879976	रेवती	अजय साहू	पात्र

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर पालिक निगम नवीन मुख्यालय भवन, गांधी चौक, रायपुर
फोन.नं-0771-2535780, 90, फैक्स:0771-2227395; ई-मेल: dc_rmc@rediffmail.com

क्रमांक/I/316486/2026/PMAY-HFA रायपुर,दिनांक:09-08-2026

//आदेश//

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के घटक "भागीदारी मे किफायती आवास" (AHP) में "कमजोर आय वर्ग के लाभार्थी हेतु आवास निर्माण" अंतर्गत जमा कराये जाने वाले हितग्राही अंशदान हेतु किस्तों के भुगतान एवं नियम-शर्तों का निर्धारण।

संदर्भ:- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4185, दिनांक 15-07-2026।

---00---

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के घटक 'भागीदारी में किफायती आवास' (AHP) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना **'कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों हेतु आवास निर्माण'** के तहत जारी संदर्भित पत्र द्वारा गठित "मूल्य निर्धारण समिति" की प्रथम बैठक दिनांक 20-07-2026 में, हितग्राहियों को आवस आबंटन उपरांत, हितग्राहियों से जमा कराये जाने वाले हितग्राही अंशदान के **"किस्तों का निर्धारण"** तथा "**राशि जमा कराये जाने से संबंधित नियम एवं शर्त"**, शासन स्तर से इस बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश प्रतीक्षित होने के कारण नगर पालिक निगम रायपुर स्तर पर निम्नानुसार तैयार कर जारी किया जा रहा है।

1. हितग्राहियों से किस्तों की राशि निम्नानुसार जमा कराया जाना है।

(A) 24 माह में पूर्ण होने वाली परियोजनाएं:-

किस्त	विवरण	प्रतिशत राशि (हितग्राही अंशदान)	लगभग राशि रू. (अनुमानित न्यूनतम **3.25** लाख प्रति आवास अनुसार)
1	आवास आबंटन के समय	5%	16,000/-

2	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 01 माह उपरांत	10%	32,000/-
3	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 02 माह उपरांत	10%	32,000/-
4	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 04 माह उपरांत	10%	32,000/-
5	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 08 माह उपरांत	10%	32,000/-
6	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 12 माह उपरांत	10%	32,000/-
7	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 16 माह उपरांत	10%	32,000/-
8	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 20 माह उपरांत	10%	32,000/-
9	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 24 माह उपरांत	10%	32,000/-

10	आधिपत्य के समय	15%	53,000/-
कुल		100%	3,25,000/-

(B) 36 माह में पूर्ण होने वाली परियोजनाएं:-

किस्त	विवरण	प्रतिशत राशि (हितग्राही अंशदान)	राशि रू. (अनुमानित न्यूनतम 3.25 लाख प्रति आवास अनुसार)
1	आवास आबंटन के समय	5%	16,000/-
2	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 01 माह उपरांत	10%	32,000/-
3	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 05 माह उपरांत	10%	32,000/-
4	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 10 माह उपरांत	10%	32,000/-
5	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 15 माह उपरांत	10%	32,000/-
6	निर्माण कार्य प्रारंभ	10%	32,000/-

	होने के 20 माह उपरांत		
7	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 25 माह उपरांत	10%	32,000/-
8	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 30 माह उपरांत	10%	32,000/-
9	निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 36 माह उपरांत	10%	32,000/-
10	आधिपत्य के समय	15%	53,000/-
कुल		100%	3,25,000/-

2. आवास आबंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कानूनी रूप से सुरक्षित और व्यावहारिक बनाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें होगी।

(A) किस्त भुगतान एवं पेनाल्टी:-

- प्रथम किस्त की राशि ₹16,000/- संबंधित परियोजना हेतु खोले गए बैंक खाते मे जमा कराये जाने के साथ साथ आवास आबंटन हेतु समस्त हितग्राहियों से समस्त किस्तों की राशि निर्धारित समयावधि मे जमा कराए जाने का शपथ पत्र लिया जाना है ।
- निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 15 दिवस के भीतर हितग्राहियों को किस्त की राशि जमा करने हेतु सूचित किया जाना है ।
- किस्त की देय तिथि (Due Date) समाप्त होने के पश्चात किश्त जमा करने

पर रेरा/शासकीय नियमानुसार विलंब शुल्क/ब्याज लिया जावेगा।

- निरस्तीकरण की प्रक्रिया (Default Clause): लगातार 2 किश्ते जमा न करने या निर्धारित अवधि तक राशि न चुकाने पर हितग्राही को अंतिम नोटिस जारी किया जावेगा। जवाब प्राप्त न होने या राशि जमा न करने पर आबंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(B) आबंटन, निरस्तीकरण एवं रिफंड:-

- लॉटरी के माध्यम से आबंटित आवास प्रत्येक हितग्राही को स्वीकार्य होगा ।
- स्वेच्छा से आबंटन रद्द कराने पर प्रथम किश्त की राशि ₹16,000/- राजसात (Forfeit) की जावेगी।
- यदि हितग्राही ने प्रथम किश्त के अलावा अतिरिक्त किस्तें जमा की हैं, तो केवल प्रथम किस्त की राशि ₹16,000/- की कटौती कर शेष राशि बिना किसी ब्याज के हितग्राही के बैंक खाते में वापस (Refund) की जावेगी।
- नगर पालिक निगम रायपुर के आधिकारिक वेबसाइट पर/SMS के माध्यम से दी गई सूचना/प्रसारित सूचना पर्याप्त मानी जावेगी।

(C) आवास के हस्तांतरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध:-

- विक्रय पर रोक (Lock-in Period): आबंटित आवास का आधिपत्य मिलने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि तक हितग्राही आवास को किसी अन्य व्यक्ति को बेच (Sale), दान (Gift) या हस्तांतरित (Transfer) नहीं कर सकेगा।
- किराए पर देने पर प्रतिबंध: EWS आवास केवल स्वयं के अथवा परिवार के निवास हेतु होगा। इसे किसी व्यावसायिक गतिविधि या किराए (Rent) पर देने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन पाए जाने पर आबंटन निरस्त कर निगम द्वारा आधिपत्य वापस ले लिया जावेगा।

(D) दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता:-

- यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि हितग्राही ने फर्जी दस्तावेज (31.08.2024 के पूर्व से नगर निगम रायपुर क्षेत्र का निवासी होने संबंधी

दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र) प्रस्तुत कर आवास प्राप्त किया है, तो हितग्राही के स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration) के आधार पर बिना पूर्व सूचना के आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा और जमा संपूर्ण राशि राजसात करते हुए कानूनी कार्रवाई की जावेगी।

- हितग्राही एवं उसके परिवार के पास स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration) के आधार पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र/पूरे भारत में कोई अन्य पक्का मकान उपलब्ध नहीं होना चाहिए।

(E) रख-रखाव एवं अन्य शुल्क:-

- आवास का आधिपत्य सौंपे जाने के समय से हितग्राही द्वारा रहवासी संघ की सदस्यता ग्रहण किया जाना आवश्यक होगा तथा रहवासी संघ द्वारा निर्धारित शुल्क नियमित रूप से समस्त हितग्राहियों से जमा कराया जाकर सार्वजनिक सुविधाओं का रख रखाव किया जावेगा।
- रजिस्ट्री शुल्क, बिजली कनेक्शन एवं जल प्रदाय कनेक्शन का शुल्क हितग्राही को अलग से स्वयं वहन करना होगा, यह ₹3.25 लाख के हितग्राही अंशदान में शामिल नहीं होगा।

(F) निर्माण की समयावधि एवं संशोधन :-

- बाह्य या अपरिहार्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा, निर्माण में तकनीकी बाधा से यदि निर्माण कार्य में विलंब होता है, तो किश्तों की समयावधि में तदनुसार बदलाव/वृद्धि करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- अपरिहार्य कारणों से परियोजना के निर्माण मे होने वाले विलंब हेतु हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
- शासन से PMAY-U 2.0 मे इस बाबत नए विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर यह शर्तें/मूल्य स्वतः संशोधित मानी जाएंगी और हितग्राही को वे नए नियम स्वीकार्य होंगे।

सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाकर हितग्राहियों से राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
Sambit Mishra
Date: 09-08-2026
11:51:23

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायपुर
(छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1.मान. महापौर महो./नेता प्रतिपक्ष/भार साधक सदस्य/समस्त वार्ड पार्षद, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ ।

2.कलेक्टर , जिला रायपुर, को सूचनार्थ ।

3.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग., को सूचनार्थ

4.अपर आयुक्त, (प्रधानमंत्री आवास योजना/राजस्व/वित्त), नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ ।

5.नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ।

6.जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एवं 10, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ।

7.सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।